Office of DEWAS Collector/ Fire Officer,
UJJAIN Division, DEWAS M.P.

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell
फॉयर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number: **6100011300/FNOC/COL/2023/6316**

आवेदन की तिथि / Application Date Jun **26, 2023** जावक की तिथि/ Dispatch Date : 04-**Jul-23**

आवेदक का नाम/ Applicant Name: THE DELTA SCHOOL RUN BY I CUBE EDUCATION AND WELFARE SOCIETY

आवेदक का पता / Applicant Address	:	**SURVEY NUMBER 457/1/1/1, 457/2/2 AND 457/5, P. H. NO. 44 GRAM AMLAWATI, TEHSIL AND DISTT. DEWAS DEWAS 455001**
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार/ Type of NOC	:	**Fire Plan Approval**
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy	:	**Educational Building/ शैक्षणिक भवन**
ईमारत का ऊंचाई / Building Height	:	**12 (मीटर मी / Meter)**
भूमि / भवन का क्षेत्रफल/ Plot / Building Area	:	**12500 (Sq.Mtr)**
संपत्ति का पता / Property Address	:	**SURVEY NUMBER 457/1/1/1, 457/2 vill AMLAWATI, TEHSIL AND DIST DEWAS District Rural Area**

विषय / Subject– रजिस्ट्रेशन नंबर :-6100011300 फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणी / **Remarks –**

ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन / बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेंट से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नालिखित प्रावधान एवं शर्तो का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यलवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. ACCESS
2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.

8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.
19. Means of Escape.
20. Compartmentation.
21. MCB/ELCB.
22. Fireman Switch in Lift.
23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.
24. Refuge Area.

2. उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फॉयर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

3. आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। **यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी।** यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

4. फॉयर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीनकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

Office of DEWAS Collector/ Fire Officer,
UJJAIN Division, DEWAS M.P.

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell
फॉयर प्लान अप्रूवल पत्र

Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number: **6100011300/FNOC/COL/2023/6316**

आवेदन की तिथि / Application Date Jun **26, 2023** जावक की तिथि/ Dispatch Date : 04**-Jul-23**

आवेदक का नाम/ Applicant Name: THE DELTA SCHOOL RUN BY I CUBE EDUCATION AND WELFARE SOCIETY

5. आवेदक को फॉयर प्लॉन अप्रूवल पत्र में स्वीकृत फॉयर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थायी फॉयर सेफ्टी सर्टिफिकेट पत्र" जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति / लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रदाय किया गया फायर प्लान अप्रूवल निरस्त मान्य होगा। आवेदक द्वारा भवन के अधिभोग/अधिवास के पूर्व फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा।

अत: अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तो एवं प्रावधानों के तहत " फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र " प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की जाती है और तद्नुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

Additional District magistrate / Fire Officer,
Distt- Dewas M.P.